रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19082026-275567
CG-DL-W-19082026-275567

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, अगस्त 9—अगस्त 15, 2026, शनिवार/ श्रावण 18—श्रावण 24, 1948
No. 28] NEW DELHI, AUGUST 9— AUGUST 15, 2026, SATURDAY/SHRAVAN 18— SHRAVAN 24, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं**
**Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India**
**(Other than the Ministry of Defence)**

## गृह मंत्रालय
## (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

**सा.का.नि. 145.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर) (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता- वह व्यक्ति-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| **पद का नाम।** | **पद की संख्या।** | **वर्गीकरण।** | **वेतन मैट्रिक्स में स्तर।** | **चयन पद या अचयन पद।** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर)। | 2 (वर्ष 2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)। | लागू नहीं होता। | तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेश के अनुसार सरकारी सेवक के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br>**टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गयी है)। |

| **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।** | **भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।** |
|---|---|---|---|
| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव:<br>कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान में परास्नातक उपाधि; या<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में परास्नातक उपाधि या प्रौद्योगिकी में परास्नातक उपाधि (कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान में); या<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि।<br>**वांछनीय-** इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग में योग्यता प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण1:** अभ्यर्थियों के अन्यथा योग्य होने की स्थिति में, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए संघ लोक | लागू नहीं होता। | सीधे भर्ती होने वालों के लिए दो वर्ष<br><br>टिप्पण: सीधी भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रासंगिक क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना होगा। | प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।<br><br>**टिप्पण.-** किसी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कार्यरत न रहने के कारण होने वाली रिक्तियां केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यता को शिथिल किया जा सकता है।<br>**टिप्पण 2:** यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है या यदि चयन के किसी भी चरण के दौरान संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि आरक्षित पदों को भरने हेतु इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता को शिथिल किया जा सकता है। | | | |

| **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।** | **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| **प्रतिनियुक्ति** (अल्पकालिक अनुबंध सहित):<br>भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के तहत वे अधिकारी जिन्होंने:<br>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण किया हुआ है; या<br>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु 44900-142400) में स्तर-7 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की; और<br>(ख) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव।<br>**टिप्पण** 1: उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आम तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।<br>**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। | विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: —<br>1. अपर महानिदेशक अथवा उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष;<br>2. उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य;<br>और<br>3. सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य | सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[फा. संख्या I-12014/05/2024-एनसीबी-II]

वंदना चौधरी, उप सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## (Narcotics Control Bureau)

New Delhi, the 5th August, 2026

**G.S.R. 145.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Programmer (Information Technology or Software) in the Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs, namely:-

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Programmer (Information Technology or Software), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.** — The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.** — The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** | **Age-limit for direct recruits.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Programmer (Information Technology or Software). | 2 (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial. | Level-8 (Rs. 47600-151100). | Not applicable. | Not exceeding thirty years (relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories administration of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). |

| **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|---|
| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Possessing the following educational qualifications and experience:<br>Masters Degree in Computer Application or Computer Science; or<br>M.E. or Master of Technology (in Computer Application or Computer Science) from a recognised University or Institute; or<br>B.E or B.Tech in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Computer Application or Electronics and Communication from a recognised University or Institute.<br><br>**Desirable-** Two years post qualification experience in electronic data processing, programming, information technology and networking.<br>Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.<br><br>**Note2:** The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled | Not applicable. | Two years for direct recruits.<br><br>**Note:** The direct recruits would be required to complete a mandatory induction training of at least two weeks duration in the relevant field to be conducted by Narcotics Control Bureau for successful completion of probation. | Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.<br><br>**Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Castes or the Schedules Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them. | | | |

| **In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| Deputation (Including Short Term Contract):<br>Officers of the Government of India or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions or autonomous bodies or statutory organisations:<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with two years regular service after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and<br>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).<br>**Note1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.<br>**Note2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years on the closing date of receipt of application. | Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: —<br>1. Additional Director General or Deputy Director General, Narcotics Control Bureau - Chairperson;<br>2. Deputy Director, Narcotics Control Bureau - Member;<br>and<br>3. Assistant Director, Narcotics Control Bureau - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making Direct Recruitment. |

[F. No. I-12014/05/2024-NCB-II]

VANDANA CHAUDHARY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

**सा.का.नि. 146.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में सहायक निदेशक (साइबर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सहायक निदेशक (साइबर), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।